न्यायालय जिला कलक्टर,जैसलमेर
पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह IAS
राजस्व प्रार्थना–पत्र सं0 02/2014(GCMS 2014/00028)

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सुलेमान पुत्र अमीरदीनखां जाति मुसलमान निवासी गांव डिडानिया तह. पोकरण जिला जैसलमेर।		1. अमतुखातुन पत्नि वहीदुल्ला जाति मुसलमान निवासी गांव डिडानिया तह. पोकरण जिला जैसलमेर। 2. जुबेदा पत्नि वहीदुल्ला जाति मुसलमान निवासी गांव डिडानिया तह. पोकरण जिला जैसलमेर। 3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पोकरण ।. 4. अणचीदेवी पत्नि चूनाराम जाति जाट निवासी रेलवे कॉलोनी, पोकरण।

उपस्थितिः–

1. श्री मुरलीधर जोशी, वकील प्रार्थी।
2. श्री मुल्तानाराम, वकील अप्रार्थीगण सं. 1,2 व 4.
3. पैरोकार राज जरिये तहसीलदार,जैसलमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

दिनांक 08.12.2025

निर्णय

इस मामले में प्रार्थी ने जरिये वकील एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वक्त नियमित भू प्रबंध में तहसील पोकरण के ग्राम डिडानिया तह. पोकरण में मंदिर श्री कृष्णजी का कदीमी पोकरण रियासकाल से चला आ रहा है, जिसकी डोली की कृषि भूमि खसरा नम्बर 250 रकबा 54–00 बीघा किस्म बारानी अव्वल राजस्व रेकर्ड खतोनी बंदोबस्त के कॉलम सं. 3 में डोली मंदिर श्री कृष्णजी कुन्जलाल वल्द काशीराम कौम ब्राहमण साकीन देह डोलीदार के नाम भौक्ता के कालम में दर्ज थी। उक्त भूमि वक्त सेटलमेंट रेकर्ड में डोली श्री कृष्णजी के नाम दर्ज कर जिन काश्तकारों को भूमि काश्त के लिये दी गई थी, उनके अर्थात नेकू वल्द बच्चू मुसलमान सा. देह के नाम खातेदार के रूप में इन्द्राज कर दिया गया। जबकि मंदिर के नाम डोली की कृषि भूमि पर काश्त करने वाले कृषक को बंदोबस्त विभाग को खातेदार के रूप में इन्द्राज करने का अधिकार नहीं था फिर भी विधि विपरित तरीके से भूलवश या मिलावट से बंदोबस्त विभाग ने खतौनी बंदोबस्त में अप्रार्थी सं.1 व 2 के पति स्व. नेकूखां को उपभोक्ता के कॉलम में खातेदार इन्द्राज कर विधि की अवहेलना की है। इसके पश्चात् राजस्व विभाग ने भी फिर गलती या जानबूझकर स्व. नेकूखां से मिलकर प्रथम जमावंदी में भोक्ता/ भूमि धारक के नाम डोली मंदिर श्रीकृष्णजी न कर राजस्थान सरकार व काश्तकार के रूप में नेकूखां वल्द बचूखां कौम मुसलमान सा. देह खातेदार के रूप में इनद्राज कर

जिला कलक्टर
जैसलमेर

संपूर्ण अभिलेख को गलत तैयार कर दिया गया जिससे डोली का अस्तित्व ही लुप्त कर स्व. नेकूखां को ही सर्वसम्पन्न खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये। जबकि उक्त भूमि की खातेदारी नाबालिग मूर्ति अर्थात डोली बनाम मंदिर श्रीकृष्णजी के नाम से दर्ज की जानी चाहिये थी। इस मामले में स्व. नेकूखां ने भू प्रबंध विभाग द्वारा किये गये गलत इन्द्राज का लाभ ले हुए मंदिर की डोली की भूमि में से 28 बीघा भूमि जरिये बैचाननामा दिनांक 16.03.2010 को अपनी पत्नि जुबेदा को बैचान कर दी जिसका नामान्तकरण दिनांक 18.03.2019 स्वीकृत किया जाकर तरमीम खसरा नं. 250/2 के रूप में की गई। स्व. नेकूखां की दिनांक 20.08.2011 को मृत्यु होने पर उक्त रकबे की शेष भूमि उसके उत्तराधिकारियों उसकी दो पत्नियों के नाम दर्ज कर दी गई। अतः राजस्व रेकर्ड को सही करवाने एवं उक्त भूमि डोली बनाम मठ श्री कृष्णजी के नाम दर्ज करवाने के लिये माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में रेफरेंन्स करवाने करवाने की कार्यवाही का निवेदन किया गया है ताकि भू अभिलेख को शुद्ध किया जा सके।

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये।

अप्रार्थीगण सं. 1, 2 व 4 की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा न्यायालय में जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। वक्त प्रथम बंदोबस्त प्रथम जमाबंदी में नेकूखां बतौर खातेदार दर्ज है। वक्त बंदोबस्त वास्तविक कब्जा काश्त के अनुसार काश्तकार को खातेदार दर्ज करने का पूर्ण कानूनी अधिकार बंदोबस्त अधिकारी को था, जो विधि सम्मत है। स्व. नेकूखां के दो पत्नियां अप्रार्थी सं. 1 व 2 गलत है, जबकि ये दोनों वहीदुल्ला की पत्नियां है। प्रार्थी को कानूनन यह रेफ्रेंस लाने का अधिकार नहीं है तथा दो पक्षकारों के मध्य विवाद होने पर जरिये रेफ्रेंस निर्णय करवाया जाना विधि अनुकूल नहीं है। अप्रार्थी सं. 4 इस प्रार्थना पत्र में पक्षकार इसी सीमा तक ही है कि अप्रार्थी सं. 2 से उनके नाम दर्ज खातेदारी से खसरा सं. 250 में 25.00 बीघा भूमि दर्ज थी, जिसमें से 12.00 बीघा भूमि का एवं ख. सं. 250/2 में 28.00 बीघा कुल 40.00 बीघा भूमि का क्रय–विक्रय हुआ है, जो विधि अनुसार उप पंजीयक कार्यालय, पोकरण में दिनांक 31.07.2017 को पंजीयन करवाया गया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पर पीढियों से से बतौर स्वामित्व कब्जा काश्त चले आ रहे है खसरा नम्बर 250 रकबा 54.00 बीघा भूमि में न कभी मंदिर था और न ही भू अभिलेखों में अलग से मंदिर की भूमि कटान में इन्द्राज है। डोली बनाम मंदिर श्री कृष्णजी की कभी नहीं रही वह भूमि नेकूखां के नाम सैटलमेंट ऑफिसर द्वारा पर्चा खतौनी के समय उनका कब्जा काश्त होने से उन्ही के नाम खातेदारी में दर्ज हुई। पर्चा खतौनी जिसके आधार पर कब्जा काश्त व लगान लिया जाता है वह वक्त सैटलमेंट के आज दिन तक लगातार खातेदारों से अर्थात अप्रार्थीगण से ली जा रही है शुरू से ही अप्रार्थीगण पर्चा खतौनी के कॉलम सं. 4 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित है, जिससे उक्त भूमि के लिये रेफ्रेंस का मामला नहीं बनता है। अप्रार्थीगण के द्वारा जवाब में यह भी निवेदन किया गया कि उसे प्रश्नगत भूमि पर

जिला कलक्टर
जैसलमेर

अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त लगातार चला आ रहा है एवं अप्रार्थीगण उसके खातेदार धोषित है एवं इतने लम्बे समय के पश्चात् रेफ्रेंस की कार्यवाही करने का कोई विधिक औचित्य नहीं है। इस संबंध में अप्रार्थीगण द्वारा विभिन्न नजीरें (Rulings) प्रस्तुत की गई। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निरस्त करवाने का निवदन किया गया।

इस मामले में तहसीलदार, पोकरण ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र में उल्लेखित कृषि भूमि ग्राम डिडानिया जो सेटलमेंट खतौनी बंदोबस्त ग्राम पोकरण सन् 1955 से 1974 के खाता सं. 418 के अनुसार खतोनी बदोबस्त कॉलम सं. 3 में भोक्ता के नाम डोली मंदिर श्री कृष्णजी कुन्जलाल वल्द काशीराम कौम ब्राहमण दायमा साकीन देह को डोलीदार व कॉलम सं 4 नेकू वल्द बच्चू मुसलमान सा. देह खातेदार खसरा नम्बर 250 रकबा 54–00 बीधा किस्म बारानी अव्वल दर्ज था। नामान्तरण सं. 499 के अनुसार भूमिधारी के कॉलम सं. 4 में खालसा श्री सरकार तथा कॉलम सं. 5 में कृषक नेकूखां पुत्र बच्चूखां का नाम कॉलम सं. 11 में इलमदीन पुत्र मेहरदीनखां कॉम मुसलमान सा. देह खातेदार दर्ज किया गया। बाद में उक्त भूमि का बैचान करने पर वर्तमान जमाबंदी वर्ष 2070 से 2073 के खाता सं. 79 में जूबैदा पत्नि वहीदुल्ला कौमा मुसलमान सा. देह खातेदार रहन बहक बैंक ऑफ बडोदा शाखा पोकरण ख. नं. 250/2 रकबा 28.00 बीधा व खाता सं. 8 में अमतुखातुन का नाम पत्नि वहीदुल्ला कौमा मुसलमान सा. देह खातेदार ख. नं. 250 रकबा 25.00 बीधा व खाता सं. 1 में कृषि योग्य भूमियां ख. नं. 250/1 रकबा 01.00 बीधा दर्ज है। तहसीलदार, पोकरण के द्वारा निवेदन किया गया कि सेटलमेंट के वक्त उक्त खसरा नं. 250 रकबा 54.00 बीधा कृषि भूमि डोली श्री कृष्णजी के नाम होने से भूमि डोली डोली मंदिर श्री कृष्णजी के नाम दर्ज किया जावे एवं रेफ्रेंस स्वीकार किया जावे।

मामले में पक्षकारों की बहस सुनी गई। प्रार्थी के वकील द्वारा निवेदन किया गया कि वक्त नियमित भू प्रबंध में तहसील पोकरण के ग्राम डिडानिया तह. पोकरण में मंदिर श्री कृष्णजी का कदीमी पोकरण रियासकाल से चला आ रहा है, जिसकी डोली की कृषि भूमि खसरा नम्बर 250 रकबा 54–00 बीधा किस्म बारानी अव्वल राजस्व रेकर्ड खतोनी बंदोबस्त के कॉलम सं. 3 में डोली मंदिर श्री कृष्णजी कुन्जलाल वल्द काशीराम कौम ब्राहमण साकीन देह डोलीदार के नाम भौक्ता के कालम में दर्ज थी। उक्त भूमि वक्त सेटलमेंट रेकर्ड में डोली श्री कृष्णजी के नाम दर्ज कर जिन काश्तकारों को भूमि काश्त के लिये दी गई थी, उनके अर्थात नेकू वल्द बच्चू मुसलमान सा. देह के नाम खातेदार के रूप में इन्द्राज कर दिया गया। जबकि मंदिर के नाम डोली की कृषि भूमि पर काश्त करने वाले कृषक को बंदोबस्त विभाग को खातेदार के रूप में इन्द्राज करने का अधिकार नहीं था फिर भी विधि विपरित तरीके से भूलवश या मिलावट से बंदोबस्त विभाग ने खतौनी बंदोबस्त में अप्रार्थी सं.1 व 2 के पति स्व. नेकूखां को उपभोक्ता के कॉलम में खातेदार इन्द्राज कर विधि की अवहेलना की है। भू प्रबंध विभाग को राजस्व रिकार्ड की प्रविष्टियों में अपने स्तर से फेरबदल करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इस संबंध में पैरोकार राज द्वारा यह निवेदन किया गया कि चूंकि मंदिर शास्वत नाबालिक की श्रेणी में आता है, मंदिर की भूमि का

न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर (राज.)

जिला कलक्टर
जैसलमेर

हस्तान्तरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 व धारा 46 प्रावधानों के सर्वथा विपरित है। अतः मामले में प्रश्नगत भूमि को डोली बनाम मंदिर श्री श्रीकृष्णजी वाके देह दर्ज करवाने के लिये माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत रेफरेंस करवाया जावे। इस संबंध में वकील अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदंन किया गया कि प्रश्नगत भूमि पर राजस्थान कातश्कारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से ही अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त रहा है एवं खतौनी बंदोबस्त में अप्रार्थीगण खातेदार दर्ज है। प्रार्थी को यह रेफ्रेंस लाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है तथा दो पक्षकारों के मध्य विवाद होने पर जरिये रेफ्रेंस निर्णय करवाया जाना विधि अनुकूल नहीं है। इस संबंध में वकील अप्रार्थीगण द्वारा आरआरडी 1982 पेज 154 व 155 एवं आरआरडी वर्ष 1992 पेज 246 व 247 न्यायालय की प्रतियां प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि इस मामले में उपरोक्त न्यायिक निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में मामला रेफ्रेस चलने योग्य नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज करवाया जावे।

1. मैंने उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया, पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया।
2. प्रार्थना पत्र में उल्लेखित कृषि भूमि ग्राम डिडानिया जो कि सेटलमेंट खतौनी बंदोबस्त ग्राम पोकरण सन् 1955 से 1974 के खाता सं. 418 के अनुसार खतोनी बदोबस्त कॉलम सं. 3 में भोक्ता के नाम डोली मंदिर श्री कृष्णजी कुन्जलाल वल्द काशीराम कौम ब्राहमण दायमा साकीन देह को डोलीदार व कॉलम सं 4 नेकू वल्द बच्चू मुसलमान सा. देह खातेदार खसरा नम्बर 250 रकबा 54–00 बीधा किस्म बारानी अव्वल दर्ज रही है। उक्त नेकूखां के फौत होने पर नामान्तरण सं. 499 खोला गया है जिसके अनुसार भूमिधारी के कॉलम सं. 4 में खालसा श्री सरकार तथा कॉलम सं. 5 में कृषक नेकूखां पुत्र बच्चूखां का नाम कॉलम सं. 11 में इलमदीन पुत्र मेहरदीनखां कॉम मुसलमान सा. देह खातेदार दर्ज किया गया। प्रश्नगत भूमि की ग्राम पोकरण की जमाबंदी संवत् 2032 से 2035 यह नोट अंकित है कि नामान्तरकरण सं. 1453 के द्वारा यह भूमि वहीदुल्ला पुत्र ईलमदीन के नाम दर्ज हो एवं आगामी जमाबंदी संवत् 2036 से 2039 में यह भूमि वहीदुल्ला के नाम पर खातेदारी में दर्ज है। बाद में उक्त भूमि का बैचान करने पर एवं वहीदुल्ला के फौत होने पर वर्तमान जमाबंदी वर्ष 2070 से 2073 के खाता सं. 79 में जूबैदा पत्नि वहीदुल्ला कौम मुसलमान सा. देह खातेदार रहन बहक बैंक ऑफ बडोदा शाखा पोकरण ख. नं. 250/2 रकबा 28.00 बीधा व खाता सं. 8 में अमतुखातुन का नाम पत्नि वहीदुल्ला कौमा मुसलमान सा. देह खातेदार ख. नं. 250 रकबा 25.00 बीधा व खाता सं. 1 में कृषि योग्य भूमियां ख. नं. 250/1 रकबा 01.00 बीधा दर्ज है। इसके पश्चात् वकील अप्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार अप्रार्थी सं. 4 ने इस प्रार्थना पत्र में कार्यवाही के दरम्यान अप्रार्थी सं. 2 से उनके नाम दर्ज खातेदार भूमि खसरा सं. 250 में 25.00 बीधा भूमि दर्ज थी, जिसमें से 12.00 बीधा भूमि का एवं ख. सं. 250/2 में 28.00 बीधा कुल 40.00 बीधा भूमि का कय–विकय पजीकृत विकय पत्र से हुआ है, जो विधि अनुसार उप पंजीयक कार्यालय, पोकरण में दिनांक 31.07.2017 को पंजीयन करवाया गया है। इस मामले में जहां तक वकील अप्राथीगण का यह कथन की

जिला कलक्टर
जैसलमेर

न्यायालय जिला कलक्टर,जैसलमेर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह IAS

राजस्व प्रार्थना–पत्र सं0 02/2014(GCMS 2014/00028)

प्रार्थी को कानूनन यह रेफ्रेंस लाने का अधिकार नहीं है तथा दो पक्षकारों के मध्य विवाद होने पर जरिये रेफ्रेंस निर्णय करवाया जाना विधि अनुकूल नहीं है। वकील अप्रार्थीगण का उपरोक्त कथन मान्य नहीं है क्योंकि इस मामले में प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन होने एवं मामला राजकीय हित में होने पर ही धारा 82 के तहत इस न्यायालय द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत किसी कार्यवाही अथवा आदेश का परीक्षण कर उसके संबंध में अपनी राय एवं अनुशंसा माननीय राजस्व मण्डल को प्रेषित की जाती है एवं उक्त धारा के तहत जिला कलक्टर को स्वप्रेरणा से भी रेफ्रेंस करने का अधिकार है तथा मामले में अंतिम आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार राजस्व मण्डल को है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16(पअ) के तहत मंदिर या देव मूर्ति की भूमि पर कोई खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते है। इसके अतिरिक्त यह स्थापित विधि है कि देवता या मूर्ति एक शास्वत अवयस्क है एवं देवता या मंदिर द्वारा धारित भूमि पर किसी को केवल उसके द्वारा उस भूमि पर काश्त करने के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है।

3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में तहसीलदार पोकरण के द्वारा रेंफरेस स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है। अतः विवादग्रस्त भूमि ग्राम डिडाणिया के खसरा संख्या 250 रकबा 54–00 बीघा भूमि किस्म बारानी अव्वल डोली मन्दिर श्री कृष्ण जी कुन्जलाल वल्द काशीराम कौम ब्राहम्ण के नाम भौक्ता के रूप में दर्ज रही है, जो खतौनी बन्दोबस्त 1955 से स्पष्ट है तत्पश्चात् उक्त भूमि नेकू वल्द बच्चू के नाम त्रुटिवश दर्ज हुयी है।

अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, पोकरण को राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में रेफरेंस दर्ज करवाये जाने हेतु निर्देश दिये जाते है। प्रकरण सुनवाई हेतु राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को अग्रेषित किया जाता है। पक्षकार अपना–अपना व्यय स्वयं वहन करें।

आदेश आज दिनांक 08.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रताप सिंह)
जिला कलक्टर,
जैसलमेर